कार्यालय :– वाणिज्यिक न्यायालय, भीलवाड़ा

क्रमांक : 17 /स्था/2025 दिनांक : 5.5.4

:: विज्ञप्ति ::

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक विभाग राजस्थान सरकार के पत्र कमांक प.10(31)/न्याय/2018 दिनांक 29.05.2024 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक : जी/आई/ए–4(i)(a)/02/2025/353 दिनांक 17.04.2025 एवं श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा के आदेश कमांक स्था/नि/2025/1519 दिनांक 21.04.2025 एवं स्था/नि/2025/1752 दिनांक 03.05.2025 के अनुक्रम में इस न्याय क्षेत्र में वाहन चालक के तीन रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए, जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवाऐं लिये जाने हेतु न्याय विभाग/राज्य सरकार के समस्त विभागों के इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिकों से जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो को दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि के लिये अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक के लिए अधिमान्य ढंग से प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप, विभागाध्यक्ष के प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजात सहित 7 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किये जाते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के तहत देय होगा। कर्मचारी का चयन उक्त वर्णित प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा।

अन्य कोई जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में आकर प्राप्त की जा सकती है।

Sd

अध्यक्ष, वाहन चालक नियुक्ति समिति
न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय,
भीलवाड़ा

क्रमांक 208 दिनांक : 5.5.4

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को समस्त विभागों/PSUs में सूचित करते हेतु।
5. भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों/अधिकरणों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु न्यायालय
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, भीलवाड़ा को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, भीलवाड़ा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा।
9. कार्यालय प्रति

अध्यक्ष, वाहन चालक नियुक्ति समिति
न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय,
भीलवाड़ा

कार्यालय :– वाणिज्यिक न्यायालय, भीलवाड़ा

।। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा, पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप।।

(वाहन चालक पद हेतु)

01. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
02. पिता/पति का नाम :
03. जन्मतिथि :
04. पता :
.....
.....
05. आयु (दिनांक 01.01.2025 को) :वर्षमाहदिन
06. अर्हताएं :
07. मूल विभाग का नाम :
08. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :
09. अनुभव :
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी सलंग्न है) :
11. मूल पेंशन राशि (पीपीओ प्रति संलग्न है) :
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) :
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (सलंग्नानुसार है) :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राज्य सरकार से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्त के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :
दिनांक :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

:: <u>विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र</u> ::

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 01 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती रू. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमतीअधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील